बाल अधिकार पर

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

CESAM

RESPONSIBLE MICA INITIATIVE

RASHTRIYA JHARKHAND SEVA SANSTHAN
RJSS
KODERMA

बच्चा किसे कहते हैं ?

बच्चा किसे कहा जाता है ? बाल्यावस्था कब प्रारम्भ अथवा समाप्त होता है ? इन साधारण प्रश्नों के उत्तर काफी जटिल है। बच्चे की बाल्यवस्था समाप्त होने की आयु में भारत के संविधान में काफी भिन्नताएँ है। बाल श्रम ;संरक्षण एवं पूनर्वासद्ध अधिकनयम 1986 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करता है तो वह किशोर/बालक की श्रेणी में आता है। भारत का संविधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने तथा जोखिमयुक्त कार्य से बचाने हेतु संरक्षण प्रदान करता है। 14 वर्ष से कम अरसु के बच्चों पर शिक्षा का मूल अधिकार ;21. एद्ध लागु होता है परन्तु आपराधिक जिम्मेवारी के उद्देश्यपर भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत आयु सीमा 7 से 12 वर्ष तय की गई है। अपहरण, बहला–फूसलाकर भाग ले जाने तथा संबंधित अपराध से संरक्षण के उद्देश्य से बच्चों की आयु सीमा लड़कों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय कि गई है। किशोर न्याय ;देखभाल तथा संरक्षणद्ध अधिनियम 2000 के अन्तर्गत बच्चों की विशेष देखभाल हेतु दोनो ;लड़के तथा लड़कियोंद्ध की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल विवाह जैसी समस्या से निपटने के लिए लड़यिकों की आयु सीमा 18 वर्ष तथा लडत्रको की आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित कि गयी है। नवीनतम बाल अधिकार कानून अर्थात बालकों के लैंगिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2012 (POCSO) में 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने वाले व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 में भी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। उपरोक्त परिभाषाएँ बच्चों पर अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में उल्लेखित परिभाषाओं के अनुरूप है जैसे :– संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता–1989 में कहा गया है कि "बच्चे का अर्थ हर मनुष्य से है जिसने अबतक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।" बच्चे के निर्माण, टेलीविजन अथवा सिनेमा में काम करने वाले बच्चों, बलपूर्वक पलायन, बंधुआ मजदूरी, बाल सैनिक, भेदभाव, अभाव परित्याग इत्यादि

अनुकूल कानूनों में से अनुकूल कानूनों में से अधिकांश में इसे स्वीकार कर लिया गया है। यह परिभाषा राष्ट्रों को यह अधिकर प्रदान करता है कि वे व्यक्तिगत रूप से बाल्यावस्था समाप्ति की आयु 10ए12ए14ए16 अथवा अपने क्षेत्र की अनुरूपता के अनुसार तय करें। यद्यपि भारतीय बहुमत अधिनियम के अन्तर्गत बहुमत द्वारा निर्णय कर बाल्यावस्था की आयु 18 वर्ष तय की गई है।

अतः 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को तब तक बच्चा कहा जाता है जबतक की बाल्यावस्था की आयु सीमा निर्धारण हेतु कोई नया कानून लागु न हो।

अधिकार क्या है ?

अधिकार वैसी विशेष अवश्यकता है जिसे संविधान, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कानून, न्यायालय के फैसले इत्यादि के साथ–साथ कानून अथवा विधिक दस्तावेजों के द्वारा विधिब(कर मान्याता प्रदान किया जाता है। प्रतिकूल "आवश्यकताएँ", "अधिकार" न्यायालय के माध्यम से लागू किया जाता है तथा इस स्थिति में व्यक्ति को अकिर प्रदान करने हेतु राज्य बाधित होती है। अधिकार हस्तांतरित नहीं किये जा सकते हैं।

बाल अधिकार क्या है ?

18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है।

क्या बच्चों के पास विशेष अधिकार होने चाहिए?

अवश्य हाँ। विशेष अधिकार के साथ हीं बच्चों को मनुष्य तथा नागरीक होन के नाते सामान्य मान अधिकर भी मिलने चाहिए क्योंकि बाल्यावस्था मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण तथा नाजुक अवस्थज्ञा होती है। यह वह समय होता है जब किसी मनुष्य के जीवन की नींव तथा दृष्टिकोण तय होती है जो आगे चलकर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं।

बच्चों की इस नाजुक अवस्था में अवस्था में अपरिपक्वता तथा निर्भरता के कारण उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना अधिक होती है।

अतः बच्चों पर विशेष ध्यान, सुरक्षा तथा उपचार की अधिक आवश्यकता होती है। इन मामलों में राजय शिथिल दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है बल्कि उन्हें त्वरित तथा अतिसक्रिय प्रयत्न करने चाहिए। चिली की महान कवियित्री तथा प्रतिष्ठित नोवेल गैब्रियल मस्ट्रिल ने एक बार कहा था कि "कई बार हम वपनी गलतियों और त्रृटियों पर दुःख व्यक्त करते हैं परन्तु हमारा सवसे बड़ा अपराध बच्चों के प्रति लापरवाही तथा उनकेजीवन के मूल सिद्धान्तों की उपेक्षा करना है। हम अपनी अनेकों आवश्यकताओं के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं, परन्तु बच्चे की अवश्यकताओं को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उनके शरीर में हड्डियों तथा रक्त के साथ–साथ उनकी इन्द्रियों (ज्ञान) का विकास भी तेजी से होता है। उनके लिए हम कल जवाबदेह नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका नाम "वर्तमान" है।

बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता क्या है ?

20 नवम्बर 1989 को बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता में यह तय किया गया कि बच्चे को किसी स्थान पर सामाजिक–सांस्कृति तथा शैक्षणिक अधिकर सुनिश्चित हो। यह बच्चों के अधिकारां पर सवसे व्यापक मापदण्ड निर्धारित किया है तथा सभी राष्ट्रों से यह अपेक्षा रखता है कि वे भी अपने यहाँ इस दिशा में समझौते के अनुरूप कानूनी तथा प्रशासनिक प्रावधान करें। यह बच्चों के अधिकरो पर कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें कुल 54 धाराएँ हैं जिसमें से 1–41 में बच्चों के मूल–भुत अधिकारों को समाहित किया गया है। UNCRC ने बाल अधिकार पर इग्लैन्टन जेब द्वारा पूर्व में तैयार की गई जेनेवा घोषणापत्र से प्रेरित होकर 1924 में राष्ट्र संघ में तथा

10 दिसम्बर 1959 को संयुक्त राष्ट्र में इसे स्वीकार किया। भारत ने भी UNCRC के दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया है जिनके नाम हैं – 16 सितम्बर 2005 में बच्चों की बिक्री बाल वेश्यावृति एवं बाल अश्लीलता पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल, तथा 30 दिसम्बर 2005 वर्ष में सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल।

बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता में परिभाषित मुख्य अधिकार क्या हैं ?

इस समझौते में कुल 54 धाराएँ हैं जिनमें से 1–41 तक की धाराओं में बच्चों के जीवन की मौलिक अधिकरों के सभी पहलुओं को समाहित किया गया है। जैसे : जन्म लेने की स्वतंत्रता का अधिकर, नाम पाने का अधिकार, नागरिकता एवं पितृत्व का अधिकार, सही एवं पर्याप्त देखभाल का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, उपेक्षा से संरक्षण का अधिकार, हिंसा तथा अपशब्द के विरूद्ध अधिकार, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार, बोलने, जुड़ने, विश्राम, सहभागिता इत्यादि की स्वतंत्रता का अधिकार। इन अधिकारों को चार वर्गों में बाँटा जाता है।

- जीवन रक्षा का अधिकार
- विकास का अधिकार
- संरक्षण का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार

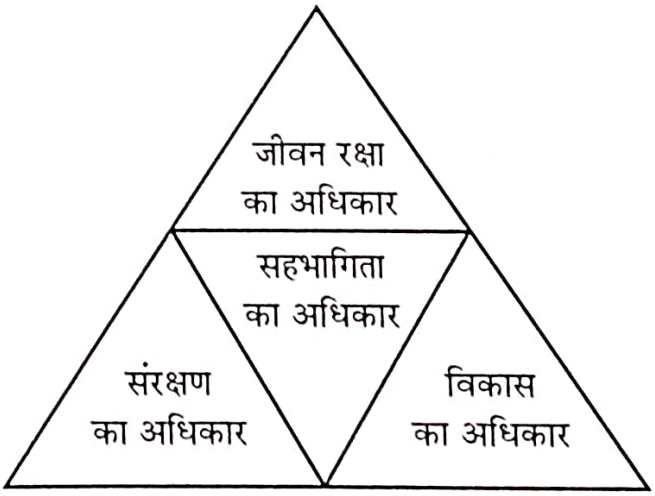

उपर दिया गया चित्र यह सुझाव देता है कि सहभागिता का अधिकार एक ऐसा विषयगत अधिकार है जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि माता–पिता अथवा अभिभावक, राज्यतथा सरकार एवं समुदाय सभी बच्चों की सोच का सम्मान करें तथा उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों में उनके राय एवं सुझावों पर अवश्य ध्यान दें तथा उनकी जीवन रक्षा,

विकास तथा संरक्षण का अधिकार बन सके।

जीवन रक्षा के अधिकार में क्या-क्या सम्मिलित है ?

जीवन रक्षा के अधिकार में उन आधारभूत अथवा मुभूत अधिकारों को शामिल किया गया है जो जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। एक बच्चे की जीवन रक्षा के अधिकार की शुरूआत उसके जन्म लेने के पूर्व ही हो जाती है। भारत सरकार के अनुसार, एक बच्चे का जीवन गर्भधारण के 20 सप्ताह के बाद से प्रारम्भ हो जाता है। अतः जीवन रक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, घर तथा कपड़े एवं सम्मान" के साथ जीने का अधिकार बच्चे के जन्म के पूर्व ही उसके साथ जुड़ हत्या के विरूद्ध भी संरक्षण प्रदान करता हैएवं साथ ही साथ समय पर पूर्ण टीकाकरा, स्तनपान, बेहतर चिकित्सा तथा स्वस्थ वातावरण इत्यादि के अधिकार को भी शामिल किया गया है।

विकास के अधिकार में क्या-क्या शामिल है ?

बच्चों के विकास से सभी स्वरूपों का अधिकार है। भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक। भावनात्मक विकास पूर्ण रूप से सुमुचित देखभाल तथा स्नेहायुक्त सहयोग से भरा होता है, शिक्षा तथा अध्ययन से मानसिक विकास किया जा सकता है तथा मनोरंजन, खेलकूद तथा पोषण से शारीरिक विकास में सहायता मिलती है।

संरक्षण के अधिकार में क्या-क्या शामिल है ?

संरक्षण के अधिकार में हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा घर अथवा किसी अन्य स्थान पर बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार के बुरे व्यवहार से बच्चे के अधिकार की रक्षा पर महतव दिया गया है। बाल संरक्षण से संबंधित इस अधिकार में बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, सड़क पर आवारा घुमने वाले बच्चों, किशोर अपराध, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों, बच्चों के प्रति यौन दुर्व्यवहार, बच्चों पर अश्लील साहित्य का

मुद्दों को समाहित किया गया है।

सहभागिता का अधिकार क्या है ?

सहभागिता का अधिकार में बच्चे के बालने, अभिव्यक्त करने तथा सभी निर्णयों तथा कार्यवाहि ;न्यायिक कार्यवाहि सहितद्ध जो उनके जीवन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है उसमें उनकी सहभागिता को समाहित करता है। बच्चे की आयु तथा उनकी परिपक्वता के अपुरूप उनकी सहभागिता निर्भर करती है। बच्चों की बात सुनने, उन्हे अपने विचार, मुद्दे, अनुभव तथा सुझावों को रखने के लिए अवसर तथा मंच प्रदान करने की आवश्यकता होती है। व्यस्को की तरह हीं बच्चों का भी अपनी बात कहने का अधिकार है। गाँवों अथवा में टोलों में बाल समुह का गठन, विद्यालय प्रबंन्धन, बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थानों तथा सरकार द्वारा निर्मित समुदाय आधारित बाल संरक्षण प्रक्रिया इत्यादि बच्चों की सहभागिता के अधिकार को प्रोत्साहित करने के तरीके हैं। बच्चों को इस प्रकार विवश, प्रभावित अथवा उनपर दबाव नहीं डालना चाहिए जो उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी बात को व्यक्त करने से रोकता है। UNCRC में सहभागिता एक सैद्धान्तिक मार्गदर्शन है, परन्तु साथ ही साथ विश्व में इसकी मान्यता काफी कम है।

क्या सहभागिता के अधिकार का अर्थ यह है कि बच्चे अपने अभिभावकों को यह निर्देश दे सकते है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं

नहीं, इस धारा का मुल उद्देश्य व्यस्कों को बचों के विचारों को सुनने तथा निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए प्रेरित करना है न कि बच्चों द्वारा बड़ों को आज्ञा देना। न्छब्ब् की धारा 12 बच्चों को प्रभावित करने वाले मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए माता–पिता के अधिकारों और जिम्मेवारियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों की सहभागिता का अधकार, उनके जीवन को प्रभावित करने का दृष्टिकोण

अथवा विचारों का आदान–प्रदान उनकी आयु तथा परिपक्वता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सबसे अधिक संवेदनशील बच्चे कौन हैं ?

बाल्यावस्था तथा बच्चे संवेदनशील होते हैं। सभी बच्चे श्रेणी, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म भौगोलिक स्थिति इत्यादि की परवाह किये बिना संवेदनशील होते हैं। कुछ बच्चे अतिसंवेदनशील होते हैं तथा उनकी संवेदनशीलतर उनके भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता, पारिवारिक सहयोग पर निर्भश्र करती है। हालाकि, हमारे देश तथा राज्यों के प्रचलन का करीब से अवलोकन कर यह सुझाव दिया गया है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे कहीं भी हों, मानवाधिकर उल्लंघन की विस्तृत श्रेणियाँ जैसे : शरीरिक दण्ड, शोषण, यौन शोषण, बदमाशी, हत्या इत्यादि के प्रति संवेदनशील होते हैं।

मुसीबत या संकट में पड़े बच्चे की मदद हम कैसे कर सकते हैं ?

यदि आपकी नजर में कोई बच्चा खतरे में है अथवा उसका शोषण/उपेक्षा किया जा रहा है तो आप उस बच्चे को आपातकालीन सेवा तथा सहयोग उपलब्ध कराने के लिए 1098 पर फोन कर कर चाइल्डलाईन स्वयंसेवक से बात कर सकते हैं। आप निकट के पुलिस थाना में सूचना देकर वहाँ किशोर/बाल कल्याण पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। आपके पास यह भी विकल्प है कि आप बाल कल्याण समिति ;सभी जिलों में गठितद्ध के किसी भी सदस्य से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रश्न संख्या 23 का भी सन्दर्भ कर सकते हैं। किसी भी समाज सेवक से कभी भी सम्पर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय झारखण्ड सेवा संस्थान

को-ऑर्डिनेशन ऑफिस - साहु भवन, डी.सी. ऑफिस के सामने, राँची पटना रोड, कोडरमा
Mob. : 09939298583 | rjssjharkhand@gmail.com | www.rjssjharkhand.com